



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 12 जून, 2026 ई०

ज्येष्ठ 22, 1948 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग

संख्या- 1464 / XL-1-2026-109 / 2002(E-57702)

देहरादून, 12 जून, 2026

अधिसूचना

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश होम्योपैथिक अधिनियम-1951) (यथा अनुकूलित एवं उपान्तरित) की धारा-53 (1) की शक्तियों का प्रयोग कर, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग की अधिसूचना संख्या-2424 / XL-1-2020-109 / 2002 दिनांक-05 नवम्बर 2020 को अवकमित करते हुये, श्री राज्यपाल महोदय श्री निर्मल कुमार, अनु सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन को तत्काल प्रभाव से अग्रिम आदेशों तक नियंत्रक, उत्तराखण्ड होम्योपैथिक मेडिसिन बोर्ड नियुक्त करते हैं। नियंत्रक द्वारा धारा-53(1) में विहित व्यवस्था के अनुसार बोर्ड की समस्त शक्तियों का प्रयोग एवं दायित्वों का निर्वहन किया जायेगा।

2- श्री निर्मल कुमार, अनु सचिव को इस हेतु कोई अतिरिक्त वेतन भत्तें आदि देय नहीं होंगे।

आज्ञा से,

रंजना राजगुरु,

सचिव।